रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-78 REGISTERED NO. D-(D)-78

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 26, 1978 (भाद्रपद 4, 1900)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 26, 1978 (BHADRA 4, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	711
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1137
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	831
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1913
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (II)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2293
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	—
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	4817
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	615
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1453
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	145

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	711
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1137
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	831
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry o Defence) and by Central Authorities fother than the Administrations of Union Territories) ..	1913
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2293
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	—
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	4817
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	615
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1453
PART IV—Advertisements and Notices by Private individuals and Private Bodies	145

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

पेट्रोलियम विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1978

आदेश

विषय : बी०-38 संरचना (अपतटीय) क्षेत्र के 722.847 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेंस की स्वीकृति ।

सं० 12012/3/78—प्रोडक्शन /पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपनियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तेल भवन देहरादून (जिसको बाद में आयोग कहा जाएगा) बी०-38 संरचना के 722.847 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 13-9-77 से चार वर्ष की अवधि लिए स्वीकृति देती है । इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं ।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम सम्बन्ध में होगा,

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :—

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कैसिंग हैड कंडेन्सट पर 42/- रु० प्रति मीटर टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी ।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जाएगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कैसिंग हैड कंडेंसे और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा इसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गए प्रपत्र में भरकर देना होगा ।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 की आवश्यकता के अनुसार नियम 11 द्वारा 6000 रु० की धन राशि प्रतिभूति रूप से जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के सम्बन्ध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जाएगी :—

(1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 4 रु०

(2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 20 रु०

(3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 100 रु०

(4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 200 रु०

(5) लाइसेंस के नवीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300 रुपए ।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस बाद होगी ।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसका तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाऐ गऐ समस्त खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों कथन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगाने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण सामान तथा साधन बनाए रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जाएगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भरकर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

अनुसूची "क"

इस पेट्रोलियम लाइसेंस के अन्तर्गत बी०-38 संरचना क्षेत्र आता है और यह आकांक्षा 18°23″ 30 दक्षिण से 18°51 20″ उत्तर और देशान्तर 72°04 00″ पश्चिम से 72°21 40″ पूर्व के बीच स्थित है और मानचित्र में किनारे के प्वाइंटों अर्थात् ए० बी०, सी० डी०, ई० एफ०, जी० और एच० को मिलाते हुए चिन्हित किया गया है तथा इसका क्षेत्रफल 722.847

वर्ग किलो मीटर है । जहां पर यह क्षेत्र स्थित है उनके प्वाइंट जिन अक्षांशों और देशान्तरों पर पड़ते हैं तथा उनके बीच की दूरी निम्नलिखित है :—

	बेयरिंग						दूरी किलो मीटर में		
	अक्षांश			देशान्तर					
	डि०	मि०	से०	डि०	मि०	से०			
1. प्वाइंट ए० स्थित है	18	51	20	72	15	00	ए० से बी०	=03.750	कि० मी०
2. प्वाइंट बी० स्थित है	18	51	20	72	17	11	बी० से सी०	=35.625	कि० मी०
3. प्वाइंट सी० स्थित है	18	32	24	72	21	40	सी० से डी०	=08.000	कि० मी०
4. प्वाइंट डी० स्थित है	18	30	40	72	17	30	डी० से ई०	=12.875	कि० मी०
5. प्वाइंट ई० स्थित है	18	24	24	72	20	47	ई० से एफ०	=05.625	कि० मी०
6. प्वाइंट एफ० स्थित है	18	23	30	72	17	42	एफ० से जी०	=32.125	कि० मी०
7. प्वाइंट बी० स्थित है	18	34	01	72	04	00	जी० से एच०	=26.250	कि० मी०
8. प्वाइंट एच० स्थित है	18	42	40	72	15	30	एच० से ए०	=16.250	कि० मी०

तट पर तीन मुख्य स्थानों से दूर प्वाइंटों की लगभग दूरी निम्नलिखित है :—

1. बम्बई . . . 65.0 कि० मी०
2. तारापुर . . . 142.5 कि० मी०
3. दहानू . . . 207.5 कि० मी०

अनुसूची—ख

अशोधित तेल केसिंग हैड कंडेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण

बी०—38 संरचना (अपतटीय) क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल: 772.847 वर्ग किलो मीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोए अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए किलो लिटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए लिटरों की संख्या	कालम 2 से और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कंडेन्सेट

प्राप्त किए गए कुल किलो लिटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोए अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए किलो लिटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए लिटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक-गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोए अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री ..... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषित करता हूं ।

हस्ताक्षर .....

भारत के राष्ट्रपति के आदेश एवं नाम में

एस० एद० वाई० नदीम अयर सचिव,

इस्पात और खान मंत्रालय

खान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1978

संकल्प

सं० जे० 11011/65/78-एम०-2—भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) अपनी तरह का विश्व का तीसरा प्राचीनतम तथा दूसरा विशालतम राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन है । विकास की प्रक्रिया को तेज करने हेतु देशी संसाधनों की अधिकतम खोज और दोहन की आवश्यकताओं के अनुरूप हाल ही के वर्षों में इस संगठन के कार्यों व कर्मचारियों की संख्या में अत्यंत वृद्धि हुई है । स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जी० एस० आई० में लगभग 52 भू वैज्ञानिक तथा अन्य कर्मचारी थे । तब से, जी० एस० आई० के कार्यों में वृद्धि हो जाने के कारण इसके कुल कर्मचारियों की संख्या (आकस्मिक कर्मचारियों सहित) बढ़ कर लगभग 17000–18000 हो गई है । पिछले 3 दशकों में केवल इसके समन्वेषण कार्यों में ही वृद्धि नहीं हुई अपितु इसकी संरचना, कार्यक्रमों तथा विभिन्न किस्म के वैज्ञानिक कार्यों में भी भारी परिवर्तन हुए हैं । भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण और इसके कार्यों का विस्तार तथा सर्वेक्षण और समन्वेषण की नई टैक्नालौजी और उपकरणों के विकास के साथ, समय की आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था के प्रशासन और नीति निर्धारण प्रक्रिया की बुनियादी रूप से पुनर्निर्माण की जरूरत महसूस हुई । तदनुसार भारतीय भू वैज्ञानिक संगठन की संरचना कार्य और कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा करने के लिए खान विभाग ने एक समिति (जी० एस० आई० पुनरीक्षा समिति) का गठन किया ।

2. पुनरीक्षा समिति ने भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के वर्तमान संगठन और प्रबंध प्रणाली का गहराई से अध्ययन करने के बाद भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के सम्बन्ध में अनेक सिफारिशें कीं । संक्षेप में, पुनरीक्षा समिति ने महसूस किया कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था की आधुनिक प्रबंध प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है तभी इस संगठन और उसके सौंपे गए कार्यों में तेजी से हो रही वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है । समिति की सिफारिशें इस बात पर आधारित हैं कि समन्वेषण की अत्यन्त आधुनिक तकनीकों (भूविज्ञान विषयों की अन्योन्याश्रिता के दृष्टि कोण पर निर्भरता सहित) को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि जी० एस० आई० को अधिक अधिकार और दायित्व सौंपे जा सकें और यह भी सुनिश्चय किया जा सके कि संगठन के भीतर अधिकारों और दायित्वों का ऊपर से नीचे तक पूरी तरह विकेन्द्रीकरण है ।

3. भारत सरकार ने फैसला किया है कि पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुरूप जी० एस० आई० के प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठन करने की दृष्टि से भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए एक प्रबन्ध मंडल का गठन किया जाए ताकि संगठन को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जा सके और यह भी सुनिश्चित हो जाए कि जी० एस० आई० के कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में सभी स्तरों के वैज्ञानिक पूरी तरह भाग लें । अन्य संगठनात्मक परिवर्तनों के साथ-साथ नए प्रणासकि ढांचे का निर्माण इस प्रकार किया जाए ताकि जी० एस० आई० संगठन में अधिकार और दायित्वों के समुचित अंतरण द्वारा लागत की प्रभावोत्पादकता, सुधारु कार्मिक-प्रबंध हो तथा जनशक्ति और साधन शक्ति का अधिकतम उपयोग किया जा सके ।

4. प्रबंध मंडल का गठन इस प्रकार होगा :—

1. सचिव, इस्पात और खान मंत्रालय	अध्यक्ष
अपर सचिव, खान विभाग . .	स्थानापन्न अध्यक्ष
2. भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक	सदस्य
3. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का वरिष्ठ प्रतिनिधि	सदस्य
4. समान कार्यों में संलग्न संगठनों जैसे एन० जी० आर० आई०/ओ० एन० जी० सी०/ एस० ओ० आई० के दो प्रतिनिधि . .	सदस्य
6. एक ख्याति प्राप्त प्रशासक . . .	सदस्य
7. एक ख्यातिप्राप्त भू वैज्ञानिक . .	सदस्य
8. उप महानिदेशक अथवा वरिष्ठ उपमहानिदेशक (वित्त) (जो भी नियुक्त किया जाएगा) .	सदस्य
9. जी० एस० आई० में निदेशक अथवा उसके उच्च स्तर का एक अधिकारी . . .	पूर्णकालिक सचिव

5. यह मंडल यदि चाहे तो समय-समय पर होने वाली अपनी बैठकों में आवश्यकतानुसार जी० एस० आई० के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकता है ।

6. इस मंडल के निम्नलिखित कार्य और दायित्व होंगे :—

(क) जी० एस० आई० से संबन्धित मुख्य नीति सम्बन्धी मामलों पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना तथा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना तथा अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए यथा-आवश्यक संगठनात्मक परिवर्तनों की योजना बनाना ।

(ख) भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की योजनाओं और कार्यक्रमों को शीघ्र कार्यान्वयन में सहयोग देना ।

(ग) सरकार के प्रस्तुत किए जाने वाले बजट का अनुमोदन करना ।

(घ) वार्षिक क्षेत्र गत कार्यक्रम में किसी भी बड़े परिवर्तन पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना जो अनुमोदित कार्यक्रम से सम्बन्धित निधियों का व्यापक आवंटन से सम्बन्धित हो ।

(ङ) कार्मिक प्रबंध से सम्बद्ध सभी मामलों पर विचार करना ।

(च) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों/करारों का भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों की सलाह से अनुमोदित करना ।

(छ) विख्यात वैज्ञानिक और विशेषज्ञ की पदवी के लिए विभागीय व्यक्तियों का मूल्यांकन कर चयन करना, तथा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामों की सिफारिश करना ।

(ज) अन्य सभी दृष्टियों से मंत्रालय के प्रशासनिक और वित्तीय दोनों प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करना ताकि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण तत्परता और दक्षता से अपना काम कर सके और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक को आवश्यक शक्तियां प्रदान करना ।

7. यह मंडल भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए नीति निर्धारित और मंजूरी देने वाला प्राधिकारी होगा । समेकित बजट के एक बार सरकार द्वारा स्वीकार कर दिए जाने के बाद भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निदेशन और स्वीकृति के अन्य सभी अधिकार इस मंडल में निहित होंगे ।

8. बोर्ड भारतीय भू सर्वेक्षण संगठन के भीतर अधिकारों की समुचित सुपुर्दगी का प्रबन्ध करेगा यद्यपि अन्तिम प्रशासनिक अधिकार महानिदेशक के पास सुरक्षित होगा तथापि प्राधिकारों और दायित्वों का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण किया जाएगा जो यथा-संभव कार्य क्षेत्र से जुड़ा होगा ताकि निर्णय लेने में शीघ्रता हो और अधिकाधिक कार्य सम्पादित हो सके ।

9. आरम्भ में मंडल का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा । ऐसी व्यवस्था की गई है कि मंडल की बैठक दो महीनों में एक बार हुआ करें ।

10. प्रबन्ध मंडल में गंभीर मतभेद होने की स्थिति में मामले को अंतिम निर्णय के लिए खान मंत्री और वित्त मंत्री के पास भेजा जाएगा ।

11. प्रबन्ध मंडल के गठन, कार्यों आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन, यदि कभी आवश्यक हुआ तो, केवल इस्पात और खान मंत्री के अनुमोदन पर ही किया जाएगा ।

12. प्रबन्ध मंडल के गैर सरकारी सदस्य उसी यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते के पात्र होंगे जो भारत सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को मिलते हैं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रपति के निजी सचिव और सैनिक सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, योजना आयोग तथा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों के विभागों को सूचनार्थ भेजा जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आर० गणपति, अपर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110029, दिनांक 19 जुलाई 1978

संकल्प

सं० एफ० 20019/1/77-प्रशा०-1—भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि इलेक्ट्रानिकी विभाग के सचिव एवं इलेक्ट्रानिकी आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम० जी० के० मेनन, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संकल्प सं० एफ० 20019/1/77-प्रशा-1 दिनांक 14-7-1977 के अनुसार रक्षा, अनुसंधान एवं विकास संगठन के महा-निदेशक की हैसियत से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति (एन० सी० एस० टी०) के सदस्य थे, इलेक्ट्रानिकी विभाग के सचिव तथा इलेक्ट्रानिकी आयोग के अध्यक्ष की वर्तमान हैसियत में उस समिति के सदस्य बने रहेंगे ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, रेलवे बोर्ड, राष्ट्रपति के सचिवालय, उप-राष्ट्रपति के सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के सभी सदस्यों को प्रेषित की जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

दिनांक 1 अगस्त 1978

सं० 1/5/76-सी० टी० ई०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि डा० एम० आर० वलूरी, निदेशक, राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला, बंगलोर की मनोनयन अवधि 31-12-78 तक के लिए समन्वय परिषद्, इंजीनियरी विज्ञान समूह के अध्यक्ष के रूप में बढ़ा दी गई है । उसी के परिणामस्वरूप भारत के राजपत्र भाग-1, अनुभाग 1 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक: 1/15/75-सी० टी० ई० और क्रमांक 1/5/76-सी० टी० ई० दिनांक 10-8-77 के अन्तर्गत क्रम सं० 6 – छपे दिनांक 16-8-78 के स्थान पर दिनांक "31-12-78" माना जाए ।

सं० 1/5/76-सी० टी० ई०—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि डा० हरिनारायण, निदेशक, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान, संस्थान, हैदराबाद की नियुक्ति बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी में उप-कुलपति के रूप में हो जाने के परिणामस्वरूप डा० हर्षवर्धन निदेशक, केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ को दिनांक 13-5-78 से दो वर्ष की अवधि के लिए डा० हरिनारायण के स्थान पर अध्यक्ष, समन्वय परिषद्, भौतिक और भूविज्ञान समूह के रूप में मनोनीत किया गया है । तदनुसार भारत के राजपत्र भाग 1, अनुभाग 1 म प्रकाशित अधिसूचनाओं संख्या 1/15/75 और क्र० सं० 1/5/76-सी० टी० ई० दिनांक 10-8-77 के अन्तर्गत क्रम सं० 6 (4) में छपे डा० हरिनारायण के नाम और पद के स्थान पर डा० हर्षवर्धन, निदेशक, केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ पढ़ा जाए ।

ए० रामचन्द्रन, सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 1978

आदेश

सं० ए० 22013/3/31/77-के० स्वा० से०-1—केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवाएं) नियमावली, 1965 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा जून, 1974 से विदेश नियुक्ति पर फिजी में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जो० डी० ओ० ग्रेड-2 के अधिकारी डा० अमरजीत सिंह को नोटिस देते हैं कि इस आदेश के भारतीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक महीने की अवधि समाप्त हो जाने की तारीख से उनकी सेवाएं समाप्त समझी जाएंगी । जून, 1974 से उनकी सेवाएं समाप्त होने तक की तिथि तक उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि अकार्य दिनों की अवधि मानी जाएगी और जिसके लिए वह किसी भी तरह के वेतन तथा भत्ते पाने के हकदार नहीं होंगे ।

दिनांक 4 अगस्त 1978

सं० ए० 22013/31/77-के० स्वा० से०-1—केन्द्रीय सिविल सेव (अस्थाई सेवाएं) नियमावली, 1965 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा 14 जनवरी, 1973 से विदेश-नियुक्ति पर लिबिया में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जी० डी० ओ० ग्रेड-2 के अधिकारी डा० मण्डल अब्दुल्ला को नोटिस देते हैं कि इस आदेश के भारतीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक महीने की अवधि के समाप्त हो जाने की तारीख से उनकी सेवाएं समाप्त समझी जाएंगी । 14 जनवरी, 1977 से उनकी सेवाएं समाप्त होने तक की तिथि तक उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि अकार्य दिनों की अवधि मानी जाएगी और जिसके लिए वह किसी भी तरह के वेतन तथा भत्ते पाने के हकदार नहीं होंगे ।

रवीन्द्र तिवारी, अवर सचिव

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1978

सं० एफ० 4-4/77-एफ०-2—अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम लि० के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 67(3) के अनुसरण में राष्ट्रपति, इलायची विकास, इलायची बोर्ड, एर्नाकुलम, कोचीन के निदेशक श्री के०वी०जार्ज को प्रोफेसर के० एम० चण्डी के स्थान पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम के निदेशकों के बोर्ड के अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त करते हैं ।

वीरेन्द्र कोहली, अवर सचिव

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 1978

संकल्प

विषय :—केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय/वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना ।

सं० एफ० 5-37/77 डी०-2(भा)—संविधान के अनुच्छेद 343 के अन्तर्गत देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है । संविधान के अनुच्छेद 351 में केन्द्र सरकार को हिन्दी को समृद्ध बनाने और इसके विकास और प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि यह हमारी सामयिक संस्कृतिक के विभिन्न तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके ।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की 1960 में जारी किए गए राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा स्थापना की गई थी । केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय हिन्दी तथा अन्य भाषाओं की प्रोन्नति के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता आ रहा है ।

निदेशालय को उसकी योजनाओं और ऐसी योजनाओं जो विशेषकर निम्नलिखित के सम्बन्ध में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निदेशालय को सौंपी जाएं, सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति स्थापित करने का निर्णय किया गया है :—

(i) अवशिष्ट वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली और अन्य शब्दावलियों का निर्माण,

(ii) विश्वकोशों और सम्बन्धित सामग्री का निर्माण,

(iii) परिभाषात्मक तथा अन्य शब्दकोशों की तैयारी,

(iv) हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों/पाठ्यपुस्तक बोर्डों/राज्य सरकारों आदि द्वारा दिए जा रहे कार्य का समन्वय,

(v) इसे सौंपे गए विषयों में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का निर्माण और पत्रिकाओं सार संग्रहों, विनिमयों इत्यादि जैसी साधन सामग्री तैयार करना ।

(vi) एक अखिल भारतीय शब्दावली का विकास,

(vii) विभिन्न सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों की सम्बन्धित मदों का कार्यान्वयन ।

तदनुसार, भारत सरकार एतद्द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	अध्यक्ष
2. शिक्षा राज्य मंत्री (प्रभारी भाषाएं)	कार्याध्यक्ष
3. सलाहकार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली और निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	उपाध्यक्ष
4. भाषा प्रभाग के ब्यूरो प्रमुख	सदस्य
5. वित्तीय सलाहकार, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय	सदस्य
6. निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर	सदस्य
7. निदेशक, केन्द्रीय अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा संस्था हैदराबाद	सदस्य
8. निदेशक केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा	सदस्य
9. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामजद सदस्य	सदस्य
10. राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य जो उप सचिव के स्तर से कम न हो	सदस्य
11-17. अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जाने वाले सात हिन्दी जानने वाले विशेषज्ञ (सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित जैविक विज्ञान, औषधि, इंजीनियरी और कृषि प्रत्येक विषय का एक-एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि) ।	सदस्य
18-19. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाने वाले हिन्दी भाषा/साहित्य के दो विख्यात विद्वान	सदस्य
20-21. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाने वाले राज्य सरकारी के दो प्रतिनिधि जो शिक्षा निदेशकों (कालेज शाखा) के स्तर से कम न हो	सदस्य
22-24. अकादमियों/पाठ्य पुस्तक बोर्डों के अध्यक्ष द्वारा बारी-बारी से नियुक्त किए जाने वाले तीन प्रतिनिधि अहिन्दी भाषी राज्यों से दो और हिन्दी भाषी राज्य से एक	सदस्य
25. निदेशक/उप सचिव/उप शिक्षा सलाहकार (भाषा प्रभाग)	सदस्य-सचिव

नोट :—शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में राज्य मन्त्री अध्यक्षता करेंगे ।

कार्यकाल :—

समिति के गैर सरकारी सदस्यों और राज्य सरकारों तथा ग्रंथ अकादमियों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष होगा बशर्ते कि :—

(i) सलाहकार समिति के पदेन सदस्य तब तक सदस्यों के रूप में काम करते रहेंगे जब तक वे उसी पद पर रहते हैं जिसके कारण वे समिति के सदस्य हैं ।

(ii) गैर सरकारी सदस्य मनोनीत करने वाले प्राधिकारी की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे ।

(iii) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र/मृत्यु के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उस रिक्त स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद पर रहेगा ।

बैठकें :—

सलाहकार समिति की साल में कम से कम दो बैठकें होंगी । तथापि, किसी भी समय जब भी आवश्यक समझा जाए अध्यक्ष द्वारा बैठकें आयोजित की जा सकती हैं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धितों तथा निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

देवेन्द्र नाथ मिश्र, संयुक्त शिक्षा सलाहकार

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 1978

संकल्प

विषय :—राष्ट्रीय बैंकों द्वारा सहकारिता क्षेत्र से बाहर के हथकरघा बुनकरों/राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगमों को वित्तीय सहायता देने में आने वाली समस्याओं का पुनरीक्षण करने के लिए अध्ययन दल ।

सं० 6(10)/78-कोप—भारत सरकार ने, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहकारिता क्षेत्र से बाहर के हथकरघा बुनकरों/राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगमों को वित्तीय सहायता देने में आने वाली समस्याओं का पुनरीक्षण करने के लिए श्री एस० आर० अवधानी, मुख्य अधिकारी, बैंकिंग प्रचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, की अध्यक्षता में, एक अध्ययन दल गठन करने का निश्चय किया है । अध्ययन दल का गठन निम्न प्रकार से होगा :—

अध्ययन दल की रचना :—

1. श्री एस० आर० अवधानी, मुख्य अधिकारी, बैंकिंग प्रचालन और विकास विभाग, रिज़र्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई ।	अध्यक्ष

2. श्री बी० सी० पटनायक,
उप-सचिव,
(बैंकिंग स्कंध),
वित्त मंत्रालय ।

3. इंडियन बैंक, भारतीय युनाइटिड बैंक
सिंडिकेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक,
सैन्ट्रल बैंक से एक-एक प्रतिनिधि,

4. श्री ए० पी० सिंह,
हथकरघा निदेशक,
उत्तर प्रदेश सरकार,
कानपुर ।

5. श्री फालगुनी राज कुमार,
प्रबन्ध निदेशक,
कर्नाटक राज्य हथकरघा विकास निगम,
बंगलौर ।

6. श्री एल० बी० सप्तऋषि सदस्य-सचिव
संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) ।

2. अध्ययन दल के निम्नलिखित कार्य विषय होंगे :—

(1) सहकारिता क्षेत्र से बाहर के बुनकरों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों में वर्तमान व्यवस्था तथा बुनकरों के सामने आने वाली ऋण सम्बन्धी कठिनाइयों और समस्याओं को पूरा करने के लिए, अध्ययन करना ।

(2) आगामी पांच वर्षों में राज्य हथकरघा विकास निगम को ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और ऐसे उपायों और सांस्थानिक प्रणालियों को सुझाना जिससे कि बैंक से वित्तीय सहायता सुगमता से प्राप्त की जा सके ।

(3) इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में, जहां तक वित्तीय हथकरघा बुनकरों/हथकरघा विकास निगमों का सम्बन्ध है, राष्ट्रीयकृत बैंकों के वर्तमान कार्यों का अध्ययन करना और उन उपायों को सुझाना जिससे राज्य हथकरघा विकास निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच कार्य सम्बन्धों का विस्तार करके सुस्थापित किया जा सके ।

(4) सहकारिता क्षेत्र के बाहर के बुनकरों/राज्य हथकरघा विकास निगमों के लिए वाणिज्यिक बैंक ऋणों की वृद्धि के सम्बन्ध में आवश्यक उपायों के लिए सिफारिशें करना और हथकरघा क्षेत्र के लिए वाणिज्यक बैंक द्वारा वित्तीय सहायता देने और सहकारी माध्यमों द्वारा वित्तीय सहायता देने के बीच लाभ तथा हानियों का तुलनात्मक अनुमान लगाना ।

(5) उपरोक्त कार्य विषयों से सम्बन्धित अन्य विषयों पर टिप्पण करना ।

अध्ययन दल से प्रार्थना है कि वे अपना प्रतिवेदन 31 अक्तूबर 1978 तक प्रस्तुत कर दें ।

दौलत राम उप-सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF PETROLEUM)

New Delhi, the 2nd August 1978

ORDER

SUBJECT : Grant of Petroleum Exploration Licence for B-38 structure (off-shore) area measuring 722.847 sq. kms.

No. 12012/3/78-Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 13-9-1977 in B-38 Structure (off-shore) area measuring 722.847 sq. kms, the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 42/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6,000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence; and

(v) Rs. 300/- for the first and second years of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration Licence shall be subject to the provisions of the Oil fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum exploration licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

SCHEDULE 'A'

The area covered by this Petroleum Exploration Licence falls in B-38 structure area and lies between latitudes 18° 23' 30" South to 18° 51' 20" North and longitudes 72° 04' 00" West to 72° 21' 40" East and is delineated on the map by the lines joining the corner points at A, B, C, D, E, F, G, and H and measures 722.847 sq. kms. area. The latitudes and longitudes on which the points covering the area fall and the distance in between them are as follows:—

	Bearing						Distance in Kms.
	Latitudes			Longitudes			
	Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.	
Point A is at	18	51	20	72	15	00	A to B=03·750 Kms.
Point B is at . . .	18	51	20	72	17	11	B to C=35·625 Kms.
Point C is at	18	32	24	72	21	40	C to D=08·000 Kms.
Point D is at	18	30	40	72	17	30	D to E=12·875 Kms.
Point E is at	18	24	24	72	20	47	E to F=05·625 Kms.
Point F is at	18	23	30	72	17	42	F to G=32·125 Kms.
Point G is at	18	34	01	72	04	00	G to H=26·250 Kms.
Point H is at	18	42	40	72	15	30	H to A=16·250 Kms.

Approximate distance of farthest point from three prominent places on land is as follows:—

1. Bombay — 65·0 Kms.
2. Tarapur — 142·5 Kms.
3. Dahanu — 207·5 Kms.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for B- 38 Structure (off shore)

Area measuring 722·847 sq. m.

Month and Year

A—Crude Oil

Total No. of Killoitres obtained	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Kilolitres used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casinghead condensate

Total number of Kilolitres obtained	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Kilolitres used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No.of Kilolitres obtained less columns 2 & 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total number of cubiocmetres obta'ned	Number of cubic metres unavoidably lost or return natural reservoir	Number of Cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks.
1	2	3	4	5

I, Shri——————————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

———————————
(Signature)

By order and in the name of the President of India.

S. M. Y. NADEEM, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF MINES)

New Delhi, the 31st July 1978

RESOLUTION

No. J-11011/65/78-M2.—The Geological Survey of India (GSI) is the third oldest and second largest national survey of its kind in the world. The activities and the employee strength of this organization have grown significantly in recent years, in tune with the need to explore and exploit the country's resources in the most optimal manner, to speed up the process of development. At the time of Independence, the GSI had a total complement of only about 52 geologists and other staff. Since then, with the increase in the activities of the GSI, the toal employee strength (including contingent staff) has increased to around 17000—18000. During the past three decades, there has not only been a significant increase in the quantum of exploration work, there have also been major changes in the structure, programme content, and variety of scientific disciplines in the GSI. With the growth of the GSI and its activities, as well as the growth of new technology and equipment for surveys and exploration, the need was felt for a basic restructuring of administration and policy formulation in the GSI, in tune with the needs of the times. Accordingly, the Department of Mines constituted a Committee (the GSI Review Committee) to review the organization, structure, functions and performance of the GSI.

2. The Review Committee has, after an in-depth study of the present organization and system of management in the GSI, made several recommendations pertaining to the administrative, financial, and policy planning structure and procedures in the GSI. In brief, the Review Committee felt that there is need for the input of a modern management system in the GSI to keep pace with the fast growth of the organization, and the tasks assigned to it. The Committee's recommendations stemmed from the need to encourage more modern techniques of exploration (including greater reliance on an inter-disciplinary approach), to vest the GSI with greater powers and responsibilities, and to ensure that there is greater devolution of powers and responsibilities down the line, within the organization.

3. The Government of India has decided, in line with the recommendations of the GSI Review Committee, to constitute a Board of Management for the GSI, with a view to reorganize the administrative structure of the GSI, to allow greater autonomy to the organisation, and to ensure the fullest participation by scientists at all levels in the planning and implementation of the programmes of the GSI. Together with other organizational changes, the new administrative framework is designed to introduced cost effectiveness, better personnel management and optimum utilisation of men and materials in the GSI, through appropriate devolution of powers and responsibilities within the organization.

4. The Board of Management will have the following composition :—

1.	Secretary, Ministry of Steel & Mines ..	Chairman
	Additional Secretary, Deptt. of Mines ..	Alternate Chairman
2.	Director General, GSI ..	Member
3.	A senior representative of the Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure) ..	Member
4.	Two senior representatives from ..	Members
5.	Organizations engaged in similar activities, like the NGRI/ONGC/SOI/AMD etc.)	
6.	An eminent Executive ..	Member
7.	An eminent Geoscientist ..	Member
8.	Dy. D.G. or Sr. Dy.D.G. (Finance) (as may be appointed) ..	Member
9.	An officer of the GSI in the rank of Director or above ..	Full time Secretary

5. The Board may invite other senior representatives from the GSI to attend its meetings as may be required from time to time.

6. The Board shall have the following functions and responsibilities :—

(a) To consider and approve major policy matters concerning the GSI and to lay down priorities for the Geological Survey, and to plan the organizational changes necessary to meet the long term requirements of the economy.

(b) To facilitate expeditious implementation of the plans and programmes of the GSI.

(c) To approve the budget for presentation to the Government.

(d) To consider and approve any major changes in the annual field programme, involving substantial reallocation of funds in relation to the approved programme.

(e) To consider all matters pertaining to personnel management.

(f) To approve international collaboration programme/agreements etc. in consultation with the concerned Ministries/Deptt. of the Government of India.

(g) To assess and select persons from within the Deptt. to the position of Eminent Scientist and Specialist, and to recommend names for National Awards.

(h) In all other ways, to exercise powers of the Ministry, both administrative and financial, to enable the GSI to carry on its work smoothly and efficiently and to delegate necessary powers to DG, GSI to achieve such a goal.

7. The Board shall be the policy making and sanctioning authority for the GSI. Once its overall consolidated budget has been approved by Government all further powers of direction and sanctions for the GSI shall vest with the Board.

8. The Board would arrange for suitable delegation of authority within the GSI. While the final executive authority would vest in the DG, there would be increasing devolution of responsibility and authority, as close to the work area as possible, leading to faster decision making and improved work output.

9. The Board shall initially have a tenure of two years. It is envisaged that the Board would meet once in two months.

10. In case of serious differences of opinion within the Board of Management, the matter would be referred to the Ministers of Mines and of Finance for a final decision.

11. Any chnge in the composition, functions, etc. of the Board of Management, if found necessary, may be made only with the approval of the Minister of Steel and Mines.

12. The non-official members of the Board of Management will be eligible for TA & DA as admissible to Class II officers of the Government of India.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territories, the private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office, the Comptroller and Auditor General of India, the Planning Commission and all Ministries/Department of Central Government for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. GANAPATI, Addl. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 19th July 1977

RESOLUTION

No. F. 20019/1/77-Admn. I.—The Government of India have decided that Prof. M. G. K. Menon, Secretary, Department of Electronics and Chairman, Electronics Commission who was Member of the National Committee on Science and Technology (NCST) in his capacity as Director General, Defence Research and Development Organisation *vide* Department of Science and Technology Resolution No. F.-20019/1/77-Adm. I, dated 14-7-1977, will continue to be

Member of that Committee in his present capacity as Secretary, Department of Electronics and Chairman, Electronics Commission.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories, Ministries/Departments of the Government of India, Planning Commission, Railway Board, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Members of the National Committee on Science and Technology.

ORDERED also that Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 1st August 1978

No. 1/5/76-CTE.—It is notified for general information that the term of nomination of Dr. S. R. Valluri, Director, National Aeronautical Laboratory, Bangalore, as Chairman, Coordination Council, Engineering Sciences Group has been extended upto 31-12-1978. Consequently the date "16-8-1978" appearing against Serial No. 6(i) of Notifications Nos. 1/15/75-CTE and No. 1/5/76-CTE dated 10-8-1977 published in Part I Section I of the Gazette of India be and is hereby replaced with the date "31-12-1978".

No. 1/5/76-CTE.—It is notified for general information that consequent upon the appointment of Dr. Hari Narain, Director, National Geophysical Research Institute, Hyderabad as Vice-Chancellor, Banaras Hindu University, Varanasi, Dr. Harsh Vardhan, Director, Central Scientific Instruments Organisation, Chandigarh has been nominated as Chairman, Coordination Council, Physical & Earth Sciences Group for a period of two years w.e.f. 13-5-1978 in place of Dr. Hari Narain. Consequently the name and designation of Dr. Hari Narain appearing under S. No. 6(iv) of Notifications No. 1/15/75-CTE and No. 1/5/76-CTE dated 10-8-1977 published in Part I Section I of the Gazette of India be and is hereby replaced with that of Dr. Harsh Vardhan, Director, Central Scientific Instruments Organisation, Chandigarh.

A. RAMACHANDRAN, Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPTT. OF HEALTH)

New Delhi, the 3rd August 1978

ORDER

No. A.22013/20/77-CHS.I.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Services) Rules, 1965, the President hereby gives notice to Dr. Amarjit Singh, an Officer of General Duty Officer Grade II of the Central Health Service on deputation on foreign assignment to the Govt. of Fiji since June, 1974, that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date on which it is published in the Gazette of India. The unauthorised period of his absence with effect from 7th June, 1977 till the date of termination of his services will be treated as dies-non for which he will not be entitled for any pay and allowances.

The 4th August 1978

ORDER

No. A.22013/31/77-CHS.I.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Services) Rules, 1965, the President hereby gives notice to Dr. Mundol Abdulla, an Officer of General Duty Officer Grade II of the Central Health Service on deputation on foreign assignment to Libya since 14-1-1973, that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date on which it is published in the Gazette of India. The unauthorised period of his absence with effect from 14th January, 1977 till the date of termination of his services will be treated as dies-non for which he will not be entitled for any pay and allowances.

R. N. TEWARI, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 31st July 1978

No. F. 4-4/77-F.II.—In pursuance of Article 67(3) of the Articles of Association of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Ltd., the President is pleased to appoint Shri K. V. George, Director, Cardamom Development, Cardamom Board, Ernakulam, Cochin as part-time Government Director on the Board of Directors of Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation *vice* Prof. K. M. Chandy.

V. KOHLI, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE & CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 28th July 1978

RESOLUTION

Subject : Setting up of an Advisory Committee to advise the Central Hindi Directorate/C.S.T.T.

No. F.5-37/77-D.II(L).—Under Article 343 of the Constitution, Hindi in Devanagri script has been declared the official language of the Union. Article 351 of the Constitution vests the Union Government with the responsibility of enriching, developing and promoting Hindi so that it may serve as the medium of expression for the diverse elements of our composite culture.

In fulfilment of the above objectives, the Commission for Scientific and Technical Terminology and the Central Hindi Directorate were established by a Presidential Order issued in 1960. The Central Hindi Directorate has been executing various Schemes for promotion of Hindi and other languages. It has been decided to set up an Advisory Committee to advise the Directorate on its Schemes and the Schemes which may be entrusted to the Directorate by the C.S.T.T. especially :—

(i) Evolution of residual scientific and technical terminology and other terminologies;

(ii) Preparation of Encyclopaedias and related material;

(iii) Preparation of Definitional and other Dictionaries;

(iv) Co-ordination of work being done by the Hindi Granth Akademies/Text Book Boards/State Governments etc;

(v) Production of University level books in subjects allotted to it and preparation of source material such as Journals, Digests, Monographs etc;

(vi) To evolve a Pan-Indian terminology;

(vii) Implementation of concerned items of the various Cultural Exchange Programmes.

The Government of India, accordingly, hereby constitutes an Advisory Committee comprising of the following :—

Chairman

1. Minister of Education, Social Welfare & Culture.

Working Chairman

2. Minister of State for Education (Incharge Languages)

Vice-Chairman

3. Advisor, Scientific and Technical Terminology and Director, Central Hindi Dte.

Members

4. Bureau Head of the Languages Division.
5. Financial Adviser, Ministry of Education & S.W.
6. Director, Central Institute of Indian Languages, Mysore.

7. Director, Central Institute of English & Foreign Languages, Hyderabad.

8. Director, Kendriya Hindi Sansthan, Agra.

9. Nominee of the Chairman, UGC

10. A nominee of the Department of Official Language not below the level of Deputy Secretary.

11-17. Seven Hindi-knowing experts (one each representing Social Sciences, Physical Sciences, Mathematics, Biological Sciences, Medicine, Engineering and Agriculture) to be nominated by the Chairman.

18-19. Two eminent scholars of Hindi language/literature to be nominated by the Chairman.

20-21. Two representatives of State Governments not below the rank of Directors of Education (Collegiate Branch) to be nominated by the Chairman.

22-24. Three representatives of Granth Akademies/Textbook Boards—one from a Hindi-speaking State and two from non-Hindi speaking States to be appointed by rotation by the Chairman.

Member—Secretary

25. Director/Deputy Secretary/D. E. A. (Languages Division).

N.B. In the absence of Education Minister, Minister of State shall preside.

Tenure :

The tenure of the non-official Members and the representatives of the State Governments and Granth Akademies of the Committee will be 2 years from the date of appointment provided that :

(i) The ex-officio Members of the Advisory Committee shall continue as Members so long as they hold office by virtue of which they are Members of the Committee;

(ii) The non-official Members shall hold office during the pleasure of the nominating authority; and

(iii) If a vacancy arises on the Committee due to the resignation/death etc. of the Member, the Member appointed in that vacancy shall hold office for the residual period of the tenure of 2 years.

Meetings :

The Advisory Committee shall meet not less than twice a year. Meetings may, however, be convened by the Chairman at any time as may be deemed necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and to Director, Central Hindi Directorate, all State Governments and Union Administrations, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. N. MISRA
Jt. Educational Adviser

MINISTRY OF INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS

New Delhi, the 2nd August 1978

RESOLUTION

Subject :—Study Group to review the problems of financing handloom weavers outside co-operative fold/State Handloom Development Corporations by the Nationalised Banks.

No. 6(10)/78-Coop.—Government of India have decided to constitute a Study Group to review the financing of handloom weavers outside Cooperative fold/State Handloom Development Corporations by the Nationalised Banks, under the Chairmanship of Shri S. R. Avadhani, Chief Officer, Department of Banking Operations and Development, Reserve Bank of India. Constitution of the Study Group will be as given below :—

1. Shri S. R. Avadhani,
Chief Officer,
Department of Banking Operations & Development,
Reserve Bank of India,
Bombay .. Chairman

2. Shri B. C. Patnaik, Deputy Secretary,
(Banking Wing), Ministry of Finance.

3. One Representative each from Indian Bank,
United Bank of India, Syndicate Bank,
State Bank of India, Central Bank of India.

4. Shri A. P. Singh,
Director of Handlooms,
Government of Uttar Pradesh,
KANPUR.

5. Shri Falguni Rajkumar,
Managing Director,
Karnataka State Handloom Development Corpn.,
BANGALORE.

6. Shri L. V. Saptharishi.
Joint Development Commissioner
for Handlooms. .. Member Secretary

II. The Study Group shall have the following terms of references :—

1. To study the present arrangements existing in various States for meeting the credit needs of weavers not covered by co-operatives and the difficulties and problems faced by them in meeting their credit requirements.

2. To estimate the credit requirements of the State Handloom Development Corporations in the next five years and suggest measures and institutional procedures which will help them in securing smooth flow of Bank finance.

3. To study in this context the present role of the Nationalised Banks in various States as far as financing handloom weavers/Handloom Development Corporations is concerned and suggest methods by which working relationship between the State Handloom Development Corporations and the Nationalised Banks could be increasingly established.

4. To make recommendations and measures necessary to increase the flow of Commercial Bank credit for weavers outside the cooperative fold/State Handloom Development Corporations and assess the comparative advantages and disadvantages of cooperative channels of credit and commercial bank financing to the handloom sector.

5. To comment on any other issues relevant to the above terms of reference.

The Study Group is requested to submit its report by 31st Oct., 1978

DAULAT RAM
Deputy Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978